समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
–: आदेश :–

दिनांक 12-06-2014 को आयोजित विद्युत विभाग की समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिला स्तर पर एक छापामारी दल का गठन किया जाए, जो जिले में चोरी से बिजली जलाने वाले व्यक्तियों को धड़-पकड़ कर आवश्यक कार्रवाई कर सके। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नवत् छापामारी दल का गठन किया जाता है :-

क्र0	दल -।	दल -।।	दल - ।।।
1	श्री खुर्शीद आलम अंसारी, नोडल पदाधिकारी, विद्युत- 9631629952	श्री देवेन्द्र नायक, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा- 9430887784	श्री संजय कुमार वर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा- 8987268975
2	श्री सुदर्शन राय, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा- 7763815329	श्री जयनारायण, सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा सदर- 7763815249	श्री शिव शंकर, सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज- 7763815250

उक्त दल को आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सप्ताह में औचक रूप से छापामारी किया जाए तथा अवैध विद्युत कनेक्शन (चोरी करके जलाने वाले) वाले उपभोक्ताओं पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दिया जाए। प्राथमिकी दर्ज करने हेतु मॉडल प्राथमिकी प्रपत्र पूर्व में नोडल पदाधिकारी, विद्युत एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत को उपलब्ध करा दिया गया है। छापामारी अभियान का आयोजन छोटे-बड़े उपभोक्ता /जाति/धर्म /विशेष क्षेत्र आदि के आधार पर नहीं करके, समान एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए।

प्रति सप्ताह छापामारी किये जाने हेतु गंतव्य स्थान की सूचना 09:00 बजे पूर्वा0 तक श्री खुर्शीद आलम अंसारी, नोडल पदाधिकारी, विद्युत द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को दी जाएगी, जो छापामारी हेतु वाहन/ विडियोग्राफी /आवश्यक सामग्री की व्यवस्था 11:00 बजे पूर्वा0 तक सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी, विद्युत द्वारा छापामारी किये जाने के एक दिन पूर्व संबंधित थानाध्यक्ष को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सूचित किया जायेगा, जो आवश्यक बल छापामारी की तिथि को उपलब्ध करायेंगे।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध है कि छापामारी दल के सहयोग हेतु संबंधित थाना में उपलब्ध बल को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा करेंगे कि नोडल पदाधिकारी, विद्युत द्वारा छापामारी किये जाने के एक दिन पूर्व पुलिस बल की उपलब्धता हेतु अनुरोध करने पर छापामारी दल को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।

नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि प्रति सप्ताह छापामारी अभियान जारी रखते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन, एफ0आई0आर0 की छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1662/गो0, मधेपुरा, दिनांक 16/06/14

प्रतिलिपि : श्री खुर्शीद आलम अंसारी, नोडल पदाधिकारी, विद्युत / श्री देवेन्द्र नायक, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा / श्री संजय कुमार वर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा/ श्री सुदर्शन राय, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा/ श्री जयनारायण, सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा सदर/ श्री शिव शंकर, सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

16/06/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।